राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 व 1666/2015.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पवन स्पेशलिटीज प्रा0 लिमिटेड, 4–थ–13, जवाहर नगर, जयपुर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, जयपुर 2. उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः एस–132, एस–133, एस–134, एस–135, एस–136 व एस–137/AA-I/A/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 28.06.2014 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल **'बिंगो मेड एंगल्स, बिंगो टेढे–मेढ़े, बिंगो टेंगल्स'** एवं 65 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल **'क्विकनिक च्यूंग गम'** का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.08.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 26, 61 व 55 के तहत पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज व शास्ति तथा वर्ष 2013–14 व 2014–15 से सम्बन्धित प्रकरणों में **'क्विकनिक च्यूंग गम'** के विक्रय पर 60 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 09.10.2015 से आंशिक स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए, कर व ब्याज के बिन्दु पर **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 व 1666/2015.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पवन स्पेशलिटीज प्रा0 लिमिटेड, 4–थ–13, जवाहर नगर, जयपुर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, जयपुर 2. उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/11/2015

स्थगन देने से इंकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग/वसूली योग्य राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			
		कर	ब्याज	शास्ति	योग
1	2	3	4	5	6
1661/15	2009–10	2,38,623	1,67,037	4,77,246	8,82,906
1662/15	2010–11	4,22,532	2,45,069	8,45,064	15,12,665
1663/15	2011–12	5,63,928	2,59,407	11,27,856	19,51,191
1664/15	2012–13	8,93,282	3,03,716	17,86,564	29,83,562
1665/15	2013–14	17,65,513	3,88,413	35,31,026	56,84,952
1666/15	2014–15	3,66,204	36,621	7,32,408	11,54,841

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एस. असावा ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल नमकीन की श्रेणी में आता है। अतः वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 131 में "Sweetmeat Deshi (including Gajak & Revri), bhujiya, branded and unbranded namkeens." के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तदनुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा ब्राण्डेड खाद्य पदार्थों का विक्रय किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल किसी भी प्रकार से नमकीन की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार बिक्रीत Kwiknic Chewing Gum में निकोटिन होने

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 व 1666/2015.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पवन स्पेशलिटीज प्रा0 लिमिटेड, 4–थ–13, जवाहर नगर, जयपुर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, जयपुर 2. उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	से यह Tobacco and its Product की श्रेणी में शुमार होता है। अतः इस पर 65 प्रतिशत की दर से करदेयता होते हुए भी अपीलार्थी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विस्तृत एवं विश्लेषित आदेश पारित करते हुए, करारोपण की कार्यवाही की गयी है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **मैसर्स पेप्सिको होल्डिंग प्रा0 लि0 के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.5.2008** के अनुसार ब्राण्डेड नमकीन/वेफर्स/पोटेटो चिप्स पर सामान्य दर से करदेयता मानी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक अपीलार्थी को स्थगन प्रदान किया जाकर अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कर व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती हैं। उपरोक्तानुसार सभी छः अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	